न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी, हिलकेरा

Delete
order signed.

प्रपत्र सं० ५६५। [स्थायी रूप से रक्षणीय]

[बोर्ड के आदेश सं० ४११६ बी० ता० १२-८-११ में अनुमोदित]

Notice upload
21/04/2018

संयुक्त मुख्य-पृष्ठ और पत्रावरण।

(रेवेन्यू मैनुअल अभिलेख .....)

पिसिल ..... विभाग

SAR 05/11-12 ..... रजिस्टर सं० .....

पेत्कोलस टोपनो ..... सुरेश साहु

प्रतिवादी

CHHTA ..... के अधीन

..... अभिलेखागार में जमा होने की तारीख .....

क्रम सं०	कागज का वर्णन	किस तारीख को दाखिल किया गया	पन्नों की संख्या	.....	.....	अभ्युक्ति
१	२	३	४	५	६	७
			9/9/22 21/11/22 6/12/22 23.12.22 24/1/23	6.3.17 12.6.19 18.7 18-9-19 8.1.20 12.2.20 8.4.20 17/2/2021 28.4.21 28/7/2021 27/10/2021 29/12/2021 01.2.2022 9.3.22 5/4/22 26/4/22 5/7/22 2/8/22		14.6.15 19.7.17 21.8.17 20.9.17 25.10.17 06-12-17 17.1.18 21.2.18 28.3.18 9.5.18 20.6.18 01/08/2018 31.10.018 19.12.18 30-1-019

CS CamScanner

D

आदेश--पत्रया

(देखें नियम 129 अभिलेख हस्तक)

आदेश पत्रक--ता0.................................से ....तक
जिला--सिमडेगा, संख्या.... SAR. 05/2011-12 निकोलस तोपनो
केस का प्रकार:-- बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969

बनाम

सुरेश साहु

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
	श्री... निकोलस तोपनो... पिता... स्व0 मातियस मुण्डा... साकिन... टापुडेगा पन्डरी पानी... थाना... ठेठाईटांगर जिला--सिमडेगा ने आवेदन--पत्र दिया है कि निम्नलिखित जमीन को नाजायज तरीके से विपक्षी... सुरेश साहु... पिता श्यामप्रसाद साहु... साकिन-- टापुडेगा पन्डरी पानी... थाना... ठेठाईटांगर जिला--सिमडेगा ने कब्जा कर लिया है। इस जमीन को बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 के अंतर्गत वापस दिलाने का अनुरोध करते हैं।	31-7-12 22-5-17 14-6-17

ग्राम	खाता सं0--	प्लॉट स0	रकबा
टापुडेगा पन्डरी पानी	20	58	0.10 डि0

उभय पक्ष को सूचित करें। अभिलेख दिनांक 14-5-2012 को उपस्थापित करें।

(हस्ताक्षर) 4.10

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,

सिमडेगा।

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सिमडेगा।

वाद सं0–एस0ए0आर0 05/2011–12
दिनांक 23.12.22

निकोलस तोपनो
बनाम
सुरेश साहु

आदेश

प्रस्तुत वाद अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 अन्तर्गत भूमि वापसी वाद की कार्यवाही आवेदक निकोलस तोपनो, पिता–स्व0 मतियस मुण्डा, साकिन–टापूडेगा पण्डरीपानी, थाना–टी0टांगर, जिला–सिमडेगा के आवेदन पर प्रारंभ किया गया। आवेदक ने लिखा है कि विपक्षी सुरेश साहु, पिता–ध्यानचांद साहु, साकिन–टापूडेगा पण्डरीपानी, थाना–टी0टांगर, जिला–सिमडेगा ने अवैध तरीके से उनकी रैयती भूमि पर कब्जा कर लिया हैं। जिसे बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 के तहत् वापस दिलवाने का अनुरोध किया हैं। वाद सं0–05/2011–12 के अनुसार प्रश्नगत् भूमि की विवरणी निम्नवत हैं:–

मौजा	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा
टापूडेगा पण्डरीपानी	20	58	0.10 एकड़

वाद की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए अंचल अधिकारी, टी0टांगर को इस न्यायालय के पत्रांक–100/विधि, दिनांक 25.04.2012 एवं पत्रांक–246/विधि, दिनांक 11.03.2022 द्वारा उपर्युक्त अंकित भूमि से संबंधित प्रतिवेदन की मांग की गई, जो अप्राप्त है।

अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उभय पक्षों को न्यायालय में संबंधित वाद की सुनवाई हेतु उपस्थित होने के लिए आदेशित किया जाता रहा है। दिनांक 06.09.2019 से अबतक उभय पक्षों के द्वारा अधिवक्ताओं के माध्यम से हाजरी पड़ी और ना ही उभय पक्ष व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में सशरीर उपस्थित हो सके। ऐसा प्रतीत होता है कि उभय पक्षों को बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 के वाद की सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से अभिरूचि नहीं हैं। इनकी मनसा शायद न्यायालय के समय को बर्बाद करने का हैं। ऐसे स्थिति में वाद सं0–05/2011–12 को संचिकास्त किया जा सकता हैं। फिर भी यदि आवेदक की इच्छा हो तो संबंधित वाद को न्यायालय में पुनः सुनवाई हेतु आवेदन पत्र समर्पित करते हुए अनुरोध कर सकते हैं।

लेखापित एवं संशोधित।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
सिमडेगा।

Digitally signed by MAHENDRA KUMAR
Date: 2023.01.18 11:42:35 +05:30
Location: 192.168.188.80

अनुमण्डल दण्डाधिकरी
सिमडेगा।

CamScanner